राजस्वप्रार्थनापत्र 63/2020
जफरूदीन, बनाम सरकार जरिये तहसीलदार जायल

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी रवीन्द्र चौधरी आर.ए.एस

मु0न0 – 63/2020

प्रार्थी–

1. जफरूदीन पुत्र जमाल खां जाति मुसलमान
निवासी शेरानियों की ढाणी दातां, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल ।

उपस्थित

1. अभिभाषक श्री शैलेन्द्र सिंह कालवी प्रार्थी की ओर से ।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :– 01/03/2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम जफरूदीन पुत्र जमाल खां हैं। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा दांता के खतौनी सं. 5 खसरा नम्बर 40 रकबा 1.7563 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम बचपन की बोल–चाल की आम भाषा में जफरू से संबोधित होने से प्रार्थी के पिता जमाल खां के फौत हो जाने से फौतगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय सहवन से जफरू खां पुत्र जमाल खां दर्ज हो गया है। प्रार्थी के मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड , भामाशाह व आधार कार्ड संख्या 481889476319 मे प्रार्थी का नाम जफरूदीन पुत्र जमाल खां दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब देही तलब किया गया। जवाब देही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक भू.अ./2021/59 दिनांक 05.01.2021 मय हल्का पटवारी बरनेल की मौका रिपोर्ट दिनांक 30.12.2020 के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का मूल नाम जफरूदीन होने से अन्य सभी दस्तावेजों में जफरूदीन पुत्र जमाल खां नाम दर्ज हो गया पर राजस्व रेकर्ड में बोलचाल की भाषा के आधार पर ही

01/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

जफरू खां दर्ज हो गया जिसे प्रार्थी अब जफरूदीन पुत्र जमाल खां दर्ज करवाना चाहता है जो सही है। जांच करने पर पाया गया कि जफरूदीन व जफरू दोनो एक ही व्यक्ति । प्रार्थी का नाम जफरू खां पुत्र जमाल खां के स्थान पर जफरूदीन पुत्र जमाल खां राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किये जाने की अभिषंशा की।

प्रार्थना पत्र की ताहिद में हल्का पटवारी रोहिणा की रिपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुकी की प्रति, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड व दांता के खतौनी सं. 5 खसरा नम्बर 40 रकबा 1.7563 हैक्टेयर की नकल खतौनी प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में दांता के खतौनी सं. 5 खसरा नम्बर 40 रकबा 1.7563 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम जफरू पुत्र जमाल खां दर्ज के स्थान पर जफरूदीन पुत्र जमाल खां शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज ग्राम दांता के खतौनी सं. 5 खसरा नम्बर 40 रकबा 1.7563 हैक्टेयर संवत् 2073–76 में प्रार्थी का नाम जफरू खां पुत्र जमाल खां दर्ज है जिसके स्थान पर जफरूदीन पुत्र जमाल खां शुद्ध किये जाने में तहसीलदार जायल (अप्रार्थी) ने सहमति व्यक्त की है। इसी प्रकार मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड , बैक पास की प्रति व आधार कार्ड संख्या 481889476319 की फोटो प्रति से प्रार्थी जफरूदीन उर्फ जफरू एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की अभिषंशा रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी जफरूदीन उर्फ जफरू दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जिसमें प्रार्थी का वास्तविक एवं पूर्ण नाम जफरूदीन पुत्र जमाल खां है।

चूंकि जफरू एवं जफरूदीन दोनो एक ही व्यक्ति के दो पृथक–पृथक नाम है प्रार्थी का पूर्णरूपेण वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता छोटा नाम दर्ज हो चुका है। जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है। अतः प्रार्थी जफरूदीन पुत्र जमालखां का ग्राम दांता तहसील जायल के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 05 में दर्ज नाम बोलता छोटा नाम जफरू खां पुत्र जमालखां के स्थान पर वास्तविक पूर्ण नाम जफरूदीन पुत्र जमालखां दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

राजस्वप्रार्थनापत्र 63/2020
जफरूदीन, बनाम सरकार जरिये तहसीलदार जायल

–: : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम दातां तहसील–जायल, जिला–नागौर की नकल जमाबंदी खाता संख्या 05 में दर्ज बोलता छोटा नाम जफरू खां पुत्र जमाल खां जाति मुस्लमान निवासी–शेरानियों की ढाणी दांता तहसील–जायल के स्थान पर वास्तविक पूर्ण नाम जफरूदीन पुत्र जमाल खां जाति–मुसलमान निवासी–शेरानियों की ढाणी, दांता तहसील–जायल दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01/03/2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

01/03/2024

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
जायल

Scanned with CamScanner